

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक -

अप्रार्थीगण

1 भंवराराम 2 लाखाराम उर्फ
लालाराम 3 लच्छूराम 4
खूमाराम पिसरान ईंदाराम जाति
मेघवाल निवासी हुडों की ढाणी
तहसील बाटाडू व जिला
बाड़मेर।

1 दीपाराम पुत्र पदमाराम 2 राउराम 3
गजाराम पिसरान रूगनाथराम 4 छगनाराम
5 सागराराम पिसरान रूगाराम 6 बावुराम
पुत्र भीमाराम जाति मेघवाल निवासी हुडों
की ढाणी तहसील बाटाडू 7 नारणाराम पुत्र
देवाराम 8 भंवराराम पुत्र वेहनाराम जाति
जाट निवासी कोसरिया तहसील बायतु व
जिला बाड़मेर 9 तहसीलदार बाटाडू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 221/2024

दिनांक-

आदेश

13/11/24

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हुडों की ढाणी पटवार हल्का हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू व
जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 403/139 रकबा 9.8132 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व
पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर)
कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।

(वीरमा राम)

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भंवराराम पुत्र ईंदाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर।
8. विप्रार्थी दीपाराम पुत्र पदमाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर।

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

